



पत्रांक: सचिव / उनिलि० / जी-३ / 1238

दिनांक : फरवरी २७, २०१५

कार्यालय ज्ञाप

निगम में कार्यालय ज्ञाप सं० 1041 दिनांक 18.12.2014 द्वारा गठित निदेशक निविदा समिति को निरस्त करते हुए एतदद्वारा निदेशक निविदा समिति का पुर्णगठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
2. निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3. निदेशक (वित्त)	सदस्य
4. निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य)	सदस्य
5. मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम)	सदस्य
6. मुख्यालय पर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता	सदस्य
7. सलाहकार (नव परियोजना)	सदस्य
8. सलाहकार, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
9. मुख्य अभियन्ता (टाम)	विशेष आमंत्री

उपरोक्त निदेशकों में से वरिष्ठतम निदेशक उक्त समिति का अध्यक्ष होगा तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे एवं मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम) समिति के संयोजक का कार्य करेंगे। इस समिति द्वारा उन्हीं प्रकरणों में निर्णय लिया जायेगा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

- क- उक्त समिति रु० 01 करोड़ से अधिक एवं रु० 10 करोड़ की अधिकतम सीमा तक पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी।
- ख- निगमादेश सं० सचिव/उनिलि०/जी-३/613 दिनांक 11.04.2013 के द्वारा गठित कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम अब रु० 10 करोड़ से रु० 25 करोड़ की अधिकतम सीमा तक पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित प्रकरणों में निर्णय लेने के लिये अधिकृत होगी।
- ग- रु० 25 करोड़ से अधिक के पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण के प्रकरणों में कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव पूर्व की भौति निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।



UPRVUNL

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928

14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,

७वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - ९२८,

14- अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

घ— रु० ०१ करोड से अधिक के पूँजीगत प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित दोनों समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों को निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

प्रबन्ध निदेशक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु ब्रेष्ट है :-

- 1— अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2— प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (कार्मिक)/निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— मुख्य अधियन्ता, पीपीएमएम/ईधन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/मानव संसाधन/आर० एप्ड एम०/वाणिज्य/कारपोरेट स्ट्रेटजी/टॉम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6— अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7— मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8— मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उनिलि, लखनऊ।
- 9— सलाहकार (नव व्यापरियोजना)/सलाहकार, निदेशक (तकनीकी), चनिलि, लखनऊ।

(रु० ०१ करोड रुपयाल)
कम्पनी सचिव